बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक : 432238 **पटना, दिनांक :** 11/07/19

ग्रा०वि०-15-स्वच्छता-18/2016(खंड)

प्रेषक,

बालामुरूगन डी०, भा०प्र०से०,
आयुक्त स्वरोजगार-सह-विशेष सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय: **लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु लाभार्थी के आधार संख्या का Demographic validation नहीं होने के संबंध में।**

प्रसंग: ग्रामीण विकास विभाग का पत्रांक 417401 दिनांक 19.03.2019.

महाशय,

उपर्युक्त विषय में सूचित करना है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान हेतु सिर्फ लाभार्थी का आधार संख्या एवं मोबाईल संख्या प्राप्त किया जा रहा है एवं संबंधित लाभार्थी के आधार संख्या का Demographic validation होने के उपरांत ही भुगतान की प्रक्रिया अग्रसारित की जाती है।

विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचना के विश्लेषण में यह पाया जा रहा है कि योग्य लाभार्थियों के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के बेसलाईन सर्वे में दर्ज नाम एवं 'आधार' में दर्ज नाम में minor अन्तर होने के कारण validate नहीं हो पा रहा है एवं उन योग्य लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है।

प्रोत्साहन राशि भुगतान की प्रक्रिया एवं प्रगति की समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के बेसलाईन सर्वे में दर्ज नाम एवं 'आधार' में दर्ज नाम में minor अन्तर पाये जाने पर पुन: इसकी समीक्षा कर भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार अग्रसारित की जायेगी-

1. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान पोर्टल पर डाटा इंट्री ऑपरेटर/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अधिकृत Maker द्वारा मोबाईल संख्या एवं आधार संख्या प्रविष्टि के समय दर्ज आधार संख्या का स्वत: Demographic validation अस्वीकृत होने पर संबंधित सूचना एक नये पेज (List of failed Aadhar for updation) में डाटा इंट्री ऑपरेटर के लॉगिन में उपलब्ध होगा, जिसमें निम्न Column रहेगी :

1) क्रमांक (बेसलाईन नम्बर) : Non-editable
2) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के बेसलाईन सर्वे अनुसार लाभार्थी का नाम : Non-editable
3) लाभार्थी का दर्ज किया गया आधार संख्या : Non-editable
4) नाम के स्पेलिंग में त्रुटि/(Surname) टाईटल का गायब होना या इसके स्पेलिंग में त्रुटि होना/ बीच या अंत का नाम आगे/पीछे या गायब होना : Choose any one
5) लाभार्थी का वास्तविक नाम 'आधार' के अनुसार : Fresh Entry

2. डाटा इंट्री ऑपरेटर/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अधिकृत Maker द्वारा संबंधित लाभार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति के अनुरूप सिर्फ Column no. 5 में पुरा नाम अंकित किया जायेगा। इस स्तर पर शेष उपरोक्त (1 से 3) तीन Columns में कोई Edit Option उपलब्ध नहीं होगा। डाटा इंट्री ऑपरेटर/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अधिकृत Maker द्वारा संबंधित लाभार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ अभिलेख में रखी जायेगी।

3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी लॉगिन में उपलब्ध सूचना का मिलान आधार कार्ड के छायाप्रति से किया जायेगा एवं तद्नुसार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के बेसलाईन सर्वे में दर्ज नाम एवं आधार कार्ड में दर्ज नाम एक ही लाभार्थी के होने की स्थिति में भुगतान हेतु Recommend किया जायेगा। संबंधित डाटा अब उप विकास आयुक्त के लॉगिन में उपलब्ध होगा।

4. उप विकास आयुक्त या उप विकास आयुक्त द्वारा अधिकृत पदाधिकारी यथा-निदेशक के लॉगिन में उपलब्ध सूचना यथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के बेसलाईन सर्वे के अनुरूप नाम एवं 'आधार' के अनुरूप नाम का विश्लेषण किया जायेगा एवं नामों में सिर्फ minor (लघु/सूक्ष्म) त्रुटि यथा-

(क) नाम के स्पेलिंग में त्रुटि
(ख) (Surname) टाईटल का गायब होना या इसके स्पेलिंग में त्रुटि होना
(ग) बीच या अंत का नाम आगे/पीछे या गायब होना।

होने पर उप विकास आयुक्त या उप विकास आयुक्त द्वारा अधिकृत पदाधिकारी यथा-निदेशक के लॉगिन से भुगतान हेतु नामों के प्रस्ताव को Approve किया जायेगा। इस स्तर पर कोई Edit Option उपलब्ध नहीं होगा।

5. डाटा इंट्री ऑपरेटर/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अधिकृत Maker द्वारा प्रत्येक नाम के Demographic validation (नये नाम के अनुरूप) के उपरांत यह प्रविष्टि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध होगा।

6. इसके उपरांत Approved लाभार्थी का नाम प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के लॉगिन में पेमेंट पेज पर उपलब्ध होगा, जिसे पूर्व में निर्धारित निर्देश (विभागीय पत्रांक 417401/19.03.2019) के अनुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा।

अत: उपरोक्त के आलोक में प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु 'आधार' एवं मोबाईल संख्या के अनिवार्यता संबंधित निदेश एवं अग्रेतर प्रक्रिया का अनुपालन सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से सुनिश्चित कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

11/07/19

(बालामुरूगन डी०)

आयुक्त-स्वरोजगार-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक: 432238 **पटना, दिनांक:** 11/07/19

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष/निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय प्रबंधक, DGM & RH, ICICI बैंक, Zonal Office, एस०के०पुरी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, Senior Technical Director, NIC पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह- मिशन निदेशक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

11/07/19

आयुक्त-स्वरोजगार-सह-विशेष सचिव